

न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी डॉ. मोहन लाल यादव, आई.ए.एस.

उनवान

हिण्डौन सहकारी भूमि विकास बैंक, शाखा-हिण्डौन जरिये सचिव, हिण्डौन सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड, हिण्डौन — प्रार्थी

बनाम

हरसी पुत्र लौहडे जाति मीना निवासी भोलू की कोठी, तहसील टोड़ाभीम जिला करौली — अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 103 राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 व नियम 99 राजस्थान सहकारी सोसायटी नियम 2003 बाबत् ऋणी सदस्य की प्रार्थी बैंक के पक्ष में रहन सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक के पक्ष में अन्तरित करने

बाबत्

निर्णय

दिनांक-04.03.2020

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि यह प्रार्थना पत्र सचिव, हिण्डौन सहकारी भूमि विकास बैंक लिमि. हिण्डौन के जरिये हिण्डौन सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा हिण्डौन ने प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अप्रार्थी द्वारा हिण्डौन सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा हिण्डौन का बकाया अवधिपार ऋण चुकता नहीं करने तथा अप्रार्थी की सम्पत्ति/कृषि भूमि जो कि प्रार्थी बैंक के पक्ष में रहन है, को प्रार्थी बैंक द्वारा नीलामी कार्यवाही में बेची नहीं जा सकने के कारण अप्रार्थी की सम्पत्ति/कृषि भूमि को राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 103 व राजस्थान सहकारी सोसायटी नियम 2003 के नियम 99 के तहत हिण्डौन सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा हिण्डौन के नाम अन्तरित करने हेतु आदेश जारी किये जावें।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को प्रार्थी बैंक की बकाया राशि जमा कराने हेतु नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी को नोटिस प्राप्ति के तीस दिवस में बकाया राशि प्रार्थी बैंक में जमा करवाकर रसीद इस न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया किन्तु बावजूद नोटिस प्राप्ति दिनांक 02.02.2019 अप्रार्थी ने प्रार्थी बैंक की बकाया राशि जमा नहीं कराई गयी है और ना ही न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा गया है।

तत्पश्चात् बहस सचिव, हिण्डौन सहकारी भूमि विकास बैंक लिमि. हिण्डौन सुनी गयी।

सचिव, हिण्डौन सहकारी भूमि विकास बैंक लिमि. हिण्डौन द्वारा कथन किया है कि अप्रार्थी हरसी पुत्र लौहडे जाति मीना निवासी भोलू की कोठी, तहसील टोड़ाभीम जिला करौली द्वारा हिण्डौन सहकारी भूमि विकास बैंक लिमि., शाखा हिण्डौन से ऋण लिया गया था, जिसे चुकता नहीं करने पर अप्रार्थी की ओर दिनांक 30.06.2013 को बकाया असल 325885/-रूपये, ब्याज 311550/-रूपये, द0ब्याज 29327/-रूपये सहित कुल राशि 666762/-रूपये (ब्याज दिनांक 31.03.2013 तक) एवं तत्पश्चात दिनांक 31.03.2016 तक अप्रार्थी के खाते में कुल बकाया असल 419000/-रूपये, ब्याज 455230/-रूपये द0ब्याज 62847/-रूपये, बीमा 15884/-रूपये, वसूली व्यय 11510/-रूपये, नीलामी व्यय 48224/-सहित कुल राशि 1012695/-रूपये की अदायगी अप्रार्थी द्वारा आज दिनांक तक नहीं की गयी है। अब उक्त डिक्री की राशि वसूलने हेतु जारी निष्पादन आदेश की क्रियान्विति करने के लिये विक्रय अधिकारी द्वारा

अप्रार्थी की बैंक में बंदकित भूमि आधार वर्ष 2005 के अनुसार आराजी खाता संख्या 2 खसरा किता 30 रकबा 7.94 हैक्टेयर का हिस्सा 1/20 भाग, खाता संख्या 8 खसरा किता 5 रकबा 2.44 हैक्टेयर का हिस्सा 1/4 भाग, खाता संख्या 23 खसरा किता 5 रकबा 1.04 हैक्टेयर का हिस्सा 1/2 भाग, खाता संख्या 28 खसरा किता 41 रकबा 8.49 हैक्टेयर का हिस्सा 1/20 भाग, खाता संख्या 30 खसरा किता 36 रकबा 15.00 हैक्टेयर का हिस्सा 1/20 भाग कुल खाता संख्या 5 बाके ग्राम भोलू की कोठी, पटवार हल्का कुढावल, तहसील टोड़ाभीम, जिला करौली को विक्रय करने की कार्यवाही संबंधित बैंक द्वारा दिनांक 31.05.2014, 23.12.2015 एवं 10.01.2017 को जरिये नीलामी की गई किन्तु नीलामी कार्यवाही के दौरान क्रेताओं के अभाव में उक्त सम्पत्ति बेची नहीं जा सकी है। विक्रय अधिकारी की सिफारिश एवं उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, करौली द्वारा राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 103 के अन्तर्गत रहन की गई भूमि को प्रार्थी सहकारी बैंक को अंतरित करने हेतु प्रार्थी बैंक के प्रशासक एवं महाप्रबंधक, राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमि. जयपुर द्वारा प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 20.04.2016 के निर्णय का उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, करौली द्वारा दिनांक 29.04.2016 को अनुमोदन कर अप्रार्थी की प्रार्थी बैंक के पक्ष में रहन भूमि, जो नीलामी में बेची नहीं जा सकी है, का प्रार्थी बैंक के पक्ष में अन्तरण कराने की अभिशंषा की है। प्रार्थी का यह खाता राजस्थान सरकार द्वारा की गई ऋण माफी योजना 2019 के दायरे में नहीं आता है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी की उक्त भूमि जो हिण्डौन सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा-हिण्डौन के पक्ष में बंधक है, को उक्त प्रार्थी बैंक के नाम अन्तरित करने बाबत सचिव, हिण्डौन सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड, हिण्डौन सिटी ने कथन किया है।

सचिव, हिण्डौन सहकारी भूमि विकास बैंक लिमि. शाखा-हिण्डौन सिटी द्वारा प्रस्तुत तर्कों को सुनने के पश्चात् सम्बन्धित अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि अप्रार्थी द्वारा हिण्डौन सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा हिण्डौन की दिनांक 30.06.2013 को बकाया ऋण राशि असल 325885/-रुपये, ब्याज 311550/-रुपये, द0ब्याज 29327/-रुपये सहित कुल राशि 666762/-रुपये (ब्याज दिनांक 31.03.2013 तक) एवं तत्पश्चात दिनांक 31.03.2016 तक अप्रार्थी के खाते में कुल बकाया असल 419000/-रुपये, ब्याज 455230/-रुपये द0ब्याज 62847/-रुपये, बीमा 15884/-रुपये, वसूली व्यय 11510/-रुपये, नीलामी व्यय 48224/-रुपये सहित कुल राशि 1012695/-रुपये जमा नहीं कराई गई है। अप्रार्थी की बैंक में बंदकित भूमि आधार वर्ष 2005 के अनुसार आराजी खाता संख्या 2 खसरा किता 30 रकबा 7.94 हैक्टेयर का हिस्सा 1/20 भाग, खाता संख्या 8 खसरा किता 5 रकबा 2.44 हैक्टेयर का हिस्सा 1/4 भाग, खाता संख्या 23 खसरा किता 5 रकबा 1.04 हैक्टेयर का हिस्सा 1/2 भाग, खाता संख्या 28 खसरा किता 41 रकबा 8.49 हैक्टेयर का हिस्सा 1/20 भाग, खाता संख्या 30 खसरा किता 36 रकबा 15.00 हैक्टेयर का हिस्सा 1/20 भाग कुल खाता संख्या 5 बाके ग्राम भोलू की कोठी, पटवार हल्का कुढावल, तहसील टोड़ाभीम, जिला करौली को विक्रय करने की कार्यवाही की गई किन्तु बोलीदाताओं के अभाव में उक्त सम्पत्ति बेची नहीं जा सकी है। हम प्रार्थी के कथनों से सहमत हैं। इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

अतः सचिव, हिण्डौन सहकारी भूमि विकास बैंक लिमि. हिण्डौन सिटी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी के पक्ष में अप्रार्थी द्वारा रहन रखी गई भूमि आधार वर्ष 2005 के अनुसार आराजी खाता संख्या 2 खसरा किता 30 रकबा 7.94 हैक्टेयर का हिस्सा 1/20 भाग, खाता संख्या 8 खसरा किता 5 रकबा 2.44 हैक्टेयर का हिस्सा 1/4 भाग, खाता संख्या 23 खसरा किता 5 रकबा 1.04 हैक्टेयर का हिस्सा

प्रकरण संख्या-07/2018 RCMS ID-2018/00040 तारीख रजु-21.03.2018
1/2 भाग, खाता संख्या 28 खसरा किता 41 रकबा 8.49 हैक्टेयर का हिस्सा 1/20
भाग, खाता संख्या 30 खसरा किता 36 रकबा 15.00 हैक्टेयर का हिस्सा 1/20 भाग
कुल खाता संख्या 5 बाके ग्राम भोलू की कोठी, पटवार हल्का कुढ़ावल, तहसील
टोड़ाभीम, जिला करौली को राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 103
के अंतर्गत हिण्डौन सहकारी भूमि विकास बैंक लिमि., शाखा हिण्डौन के पक्ष में अंतरित
करने के आदेश दिये जाते हैं। निर्णय की प्रमाणित प्रति प्रार्थी को एवं तहसीलदार
टोड़ाभीम को राजस्व रिकॉर्ड में अमल करने हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार
होकर बाद तकमील दाखिल दफ़तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04.03.2020 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ. मोहन लाल यादव)
जिला कलक्टर
करौली

